रणकौशलात्मक दिशा

"कार्यनीति संबंधी नेतृत्व रणनीति संबंधी नेतृत्व का ही एक अंग है और उसके उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अधीन है। सर्वहारा वर्ग के संघर्ष और संगठन के विभिन्न रूपों में निपुणता प्राप्त करना कार्यनीति संबंधी नेतृत्व का एक आवश्यक कार्य है। उसका दूसरा कार्य यह देखना है कि इन रूपों का प्रयोग निश्चित और समुचित ढ़ंग से हो जिससे कि उस समय की परिस्थितियों में सामरिक सफलता मिले और आगे का रास्ता भी साफ होता जाए।" (स्तालिन, लेनिनवाद के मूल सिद्धांत)

स्तालिन की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कार्यनीति का उद्देश्य क्रांति के ज्वार-भाटे या काल की किसी निश्चित अवस्था के अनुकूल किसी आंदोलन या विशेष संघर्ष को सफलतापूर्वक संचालित करना व सम्पन्न करना है। आंदोलन के विकास की अवस्था विशेष से ही रणकौशल का निर्धारण होगा।

भारत के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन की मौजूदा स्थिति में न तो रणनीतिक सवालों पर ही सर्वसम्मति है और न ही एक रणनीति मानने वाले संगठनों के रणकौशल ही समान हैं। इसी विभ्रम, टूट-बिखराव के दौर में हमारा पार्टी संगठन भी इंकलाब की विभिन्न चुनौतियों से रूबरू है और जूझ रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन की इसी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में हम अपनी कार्यनीतिक दिशा (रणकौशलात्मक दिशा) प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसकी अपर्याप्तताओं से वाकिफ हैं। समूचे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन की मजदूर-मेहनतकश जनता के बीच मामूली पैठ और तदनुरूप व्यवहार इसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं।

हमारा पार्टी संगठन छोटा है व देश के छोटे हिस्से में ही गतिविधि करने में सक्षम है। विभिन्न वर्गों-तबकों के बीच अनुभव हासिल कर एक सुस्पष्ट सुसंगत रणकौशलात्मक कार्यदिशा निर्धारित करने की हमारी सीमाएं हैं, ऐसा एक अखिल भारतीय एकल कम्युनिस्ट पार्टी ही कर सकती है जिसका व्यापक जनसमुदाय के बीच आधार हो। अपनी इन्हीं सीमाओं को रेखांकित करते हुए हम यह रणकौशलात्मक कार्यदिशा प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारे पार्टी संगठन का मानना है कि क्रमिक सुधारों के जरिए पूंजीवादी विकास ने भारत को मूलतः एक पूंजीवादी समाज में रूपान्तरित कर दिया है। अतः यहां सर्वहारा समाजवादी क्रांति ही क्रांति की मंजिल है। औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में समस्त सर्वहारा वर्ग अपने भरोसेमन्द मित्रों, अर्द्ध-सर्वहारा व छोटे किसान को साथ लेकर इस क्रांति को सम्पन्न कर सर्वहारा तानाशाही की स्थापना करेगा। शहरी व ग्रामीण मध्यम वर्ग क्रांति के ढुलमुल मित्र होंगे। इस क्रांति के प्रहार का मुख्य निशाना होंगे भारतीय पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवाद।

अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पुनर्गठन

हम मुल्क में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन को अपना केन्द्रीय कार्यभार मानते हैं। हमारे सभी कार्य-व्यवहार इसी ओर उन्मुख हैं।

हमारे मुल्क में कोई अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद नहीं है। इसके बदले टूट-फूट व बिखराव का शिकार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शिविर है। ढ़ेरों पार्टी संगठनों के रूप में मौजूद यह शिविर नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान माकपा के संशोधनवाद के खिलाफ निर्णायक विच्छेद से जनमा है। नक्सलबाड़ी से जनमे कुछ पार्टी संगठन कालांतर में संशोधनवादी धारा के हमराह हो गए हैं जैसे- सी.पी.आई. (एम.एल.) लिबरेशन।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शिविर के घटक पार्टी संगठनों के अलावा अन्य संगठन हमारे एकता प्रयास के दायरे में नहीं आते। कम्युनिस्ट शिविर के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने तथा क्रांतिकारी आंदोलन के वेगवान होने के साथ ही कई संगठनों के कार्यकर्ताओं के समूहों के पार्टी में विलय की संभावना से हम इंकार नहीं करते।

हम क्रांतिकारी शिविर की एकता के लिए कटिबद्ध हैं और इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। अपने मुखपत्र के माध्यम से विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों से वाद-विवाद चलाने के अलावा हम सम्भव द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भागीदारी करते हैं। हमारी कोशिश और आकांक्षा है कि शिविर में घटक संगठनों के मध्य विभिन्न माध्यमों से वार्ताओं, वाद-विवाद का निरंतर क्रम बने रहना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द एकताबद्ध हों।

हम जनसंगठनों के स्तर पर संयुक्त कार्यवाहियां करने, जनसंगठनों के संघ बनाने के साथ-साथ एक ही जनसंगठन में कई पार्टी-संगठनों के काम करने के भी हिमायती हैं।

हमारा मानना है कि एकता के बारे में संकीर्णतावादी रुख नहीं होना चाहिए। खुद को ही पार्टी घोषित कर देने या समूचे शिविर को ही विघटित घोषित कर देने के रुख को हम गलत मानते हैं। एकता वार्ताओं की शर्त भी विचारधारा को स्वीकारने व व्यवहारतः अमल में लाने के अलावा यही होनी चाहिए कि पार्टी संगठन पेशेवर क्रांतिकारियों की सर्वोच्च कमेटी के मातहत काम करता हो।

इस प्रस्थान बिंदु से प्रारम्भ कर हमें कार्यक्रम, रणकौशल, पार्टी इतिहास तथा अन्य बुनियादी महत्व के मुद्दों को एकता वार्ताओं की विषय-वस्तु बनाना चाहिए।

किसी पार्टी संगठन का कम्युनिस्ट पार्टी के बतौर अस्तित्वमान होने की शर्त केवल यह नहीं है कि वह पार्टी संगठन मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को अपनी पथप्रदर्शक विचारधारा मानता हो और वह पेशेवर क्रांतिकारियों की एक कोर के इर्द-गिर्द सुगठित हो। उस संगठन को कम्युनिस्ट पार्टी कहलाने के लिए जरूरी है कि औद्योगिक मजदूरों के बीच उस पार्टी संगठन का आधार हो और आगे बढ़े हुए मजदूर सशरीर उस पार्टी सगठन में शामिल हों अर्थात् उस पार्टी संगठन के सदस्य/कार्यकर्ता औद्योगिक मजदूर भी हों और वे उसकी कमेटियों में सक्रिय हों।

सर्वहारा वर्ग के बीच कार्यनीति

सर्वहारा आज भारतीय समाज में मेहनतकश समुदाय का बहुमत हो चुका है। यह न सिर्फ क्रांति का नेतृत्वकारी वर्ग है बल्कि उसकी प्रमुख लड़ाकू ताकत भी है। सर्वहारा वर्ग आकार के लिहाज से श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा तो बनता ही है इसका एक हिस्सा आधुनिक पूंजीवादी उद्यमों में एक ही छत के नीचे बड़े समूह के रूप में काम करता है। यह हिस्सा मूलतः यूनियनीकृत है।

भारतीय सर्वहारा वर्ग का अच्छा-खासा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और काफी कम तादाद में ही यूनियनीकृत है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण की मुहिम ने सर्वहारा वर्ग की जीवन व कार्यस्थितियों को और ज्यादा बदतर बना दिया है। 'द्वितीय श्रम आयोग' की सिफारिशें तथा 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' मजदूर वर्ग पर शासक वर्ग के हमले की शास्त्रीय अभिव्यक्तियां हैं।

भारत के मजदूर आंदोलन पर भाकपा, माकपा, भाकपा-माले (लिबरेशन) जैसी संशोधनवादी पार्टियों के साथ-साथ कांग्रेस, भाजपा व 'समाजवादियों', बसपा, शिवसेना तथा अन्य प्रभावी क्षेत्रीय पार्टियों का नियंत्रण है। ये सभी पार्टियां अभिजात मजदूर वर्ग के माध्यम से मजदूर आंदोलन पर कब्जा जमाये हुए हैं। शासक वर्ग द्वारा भ्रष्ट मजदूर वर्ग के इस हिस्से के माध्यम से मजदूर आंदोलन पर नियंत्रण ने मजदूर आंदोलन को अर्थवाद, सुधारवाद के गर्त में डुबोकर रखा है।

आज जब मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमला बोला जा रहा है और इस अभिजात मजदूर वर्ग को भी निशाना बनाया जा रहा है तब यह टुकड़खोर नेतृत्व अपनी भीरुता का प्रदर्शन कर रहा है। अब भी यह किसी तरह अपने आभिजात्य को बचाने के लिए शासकों के समक्ष हाथ फैला रहा है या उन्हें गीदड़ भभकी दे रहा है। मजदूर आंदोलन के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने में आज का पतित ट्रेड यूनियन नेतृत्व अक्षम है।

मजदूरों के बीच क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन संगठित करने का कार्यभार पूरा कर ही मौजूदा चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा करने में मौजूदा ट्रेड यूनियन आंदोलन कतई मददगार नहीं है। अवसरवादियों, संशोधनवादियों के साथ-साथ समूची ट्रेड यूनियन नौकरशाही को बेपर्दा कर और मजदूरों के बीच इनकी साख खत्म कर ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज मजदूर वर्ग के बीच पैठे अधिकांश ट्रेड यूनियन सेंटर व ट्रेड यूनियनों के नेता हमारे हमले का निशाना होंगे।

हमें मजदूर वर्ग के बीच सर्वहारा विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते समय इस बात को भी स्थापित करना होगा कि हमें वर्तमान ट्रेड यूनियन नेतृत्व को पूरी तरह बेदखल करना है। हमें ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए नए नेतृत्व को विकसित करना होगा। यह नेतृत्व पूंजी की मार झेल रहे श्रमिकों के बीच से पैदा होगा। यह अभिजात मजदूर वर्ग की वर्तमान ट्रेड यूनियन नौकरशाही को ध्वस्त करके उसकी जगह लेगा और मौजूदा चुनौतियों का सामना करेगा।

हमारा कार्य है कि हम मजदूर आंदोलन के बीच से नया नेतृत्व विकसित करने पर पर्याप्त जोर दें। भारतीय समाज के पिछड़ेपन की वजह से मजदूरों के बीच से उद्वेलक, प्रचारक व संगठनकर्ता तैयार करने का काम काफी चुनौती भरा है। इसके बिना हम मजदूर आंदोलन को अर्थवाद, सुधारवाद, कानूनवाद के दलदल बाहर निकालकर क्रांतिकारी जमीन पर खड़ा नहीं कर सकते।

हमें मौजूदा ट्रेड यूनियन के बरक्स नयी ट्रेड यूनियन गठित करने के काम को तभी करना चाहिए जब हम ऐसा करने को विवश हों, अन्यथा हमें संस्थान के मजदूरों के बीच क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार-प्रसार करके पार्टी-सेल गठित करने चाहिए और समझौतापरस्त नेतृत्व को विस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

हमारे सामने यह कार्यभार है कि हम मजदूरों के क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन केन्द्र के गठन की दिशा में बढ़ें। केन्द्र का गठन कम्युनिस्ट कोर की मौजूदगी के साथ-साथ हमारे कार्यक्षेत्र में कई फैक्टरियों-संस्थानों में ट्रेड यूनियनों के बीच हमारे पर्याप्त प्रभाव की भी दरकार रखता है। इस शर्त के पूरा हुए बगैर केन्द्र का गठन कागजी व अनुष्ठानिक तो होगा ही साथ ही यह केन्द्र सुधारवाद, अर्थवाद के दायरे में सिमटे रहने को भी अभिशप्त हो जाएगा। मजदूरों के क्रांतिकारी केन्द्र के गठन की स्थिति न होने पर हमें मजदूरों की ट्रेड यूनियन व क्रांतिकारी केन्द्र के बीच के औपचारिक मंचों-संगठनों का निर्माण करना चाहिए। ये मध्यवर्ती संगठन हमें क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन केन्द्र गठित करने में मददगार होंगे। इन संगठनों के माध्यम से हमें फैक्टरियों, संस्थानों तथा मजदूर बस्तियों में जाकर व्यापक मजदूर आबादी को उसके ऐतिहासिक मिशन से परिचित करवाना चाहिए।

हमें फैक्टरी, संस्थानों, मजदूर बस्तियों में उनके द्वारा लड़े जाने वाले संघर्षों का समर्थन करना चाहिए व उन्हें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें दलाल ट्रेड यूनियन नेताओं, पार्षदों, ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर बनने वाले स्थानीय संगठनों के नेताओं के साथ सांठ-गांठ कर उनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। ट्रेड यूनियन नेताओं से तत्कालिक संघर्षों के लिए संयुक्त मोर्चा कायम करते समय भी हमारा यही प्रयास होगा कि हम राजनीतिक प्रचार व मजदूर आबादी से एकाकार होकर इन नेताओं के समझौता परस्त चरित्र को उजागर करें। हमें ट्रेड यूनियन नेताओं की चाटुकारिता करने व उनके मंच का इस्तेमाल करने की गरज से उनका तुष्टीकरण करने की कार्यनीति के बजाय क्रांतिकारी राजनीति पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें संयुक्त मोर्चे के भीतर एकता के पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। हमें संयुक्त मोर्चे के घटकों को या उनके नताओं पर आमतौर पर प्रत्यक्ष हमला नही बोलना चाहिए। हमें ट्रेड यूनियन सेंटर या दलाल व अवसरवादी नेताओं का भंडाफोड़ अपनी क्रान्तिकारी राजनीति, राजनीतिक मुद्दों, नारों आदि से करना चाहिए। हमें मजदूर वर्ग के विवेक पर भरोसा करना चाहिए कि वे हमारे राजनीतिक प्रचार के प्रभाव से सही-गलत का फर्क समझ सकते हैं।

आज साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ कर भारतीय पूंजीपति वर्ग मजदूरों के ऊपर हावी है। व्यापक बेरोजगारी, उन्नत तकनीक और तैयार माल के रिजर्व की बदौलत मजदूरों पूंजीपतियों के आपसी संघर्ष, संघर्षरत मजदूरों के लिए बेशुमार मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अक्सर मजदूरों द्वारा लड़े जाने वाले संघर्ष खिंचते चले जाते हैं और मजदूरों को मायूसी और थकान से भर देते हैं। श्रम न्यायालय व न्यायालयों के खुले मजदूर विरोधी फैसले संघर्ष को और जटिल बना देते हैं। ऐसे में आर्थिक संघर्षों को भी राजनीतिक तौर-तरीकों से लड़ने का महत्व काफी बढ़ गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड यूनियनों के आर्थिक संघर्ष भी मजदूरों के शेष हिस्सों समेत सभी मित्र वर्गों-तबकों के बीच विस्तार ग्रहण करें और व्यापक समर्थन हासिल कर मालिकों, प्रबंधकों के साथ-साथ स्थानीय शासन-प्रशासन पर भी दबाव बना सकें।

अर्द्ध-सर्वहारा के बीच कार्यनीति

भारत की मेहनतकश आबादी का खासा हिस्सा अर्द्ध-सर्वहारा की श्रेणी में आता है। ये मूलतः अपनी श्रम शक्ति नहीं बेचते बल्कि मामूली पूंजी लगाकर खुद के लिए ही श्रम करते हैं। इनका काम-धंधा इन्हें सर्वहारा जैसी ही जीवन स्थितियां प्रदान करता है, कुछ मामलों में तो उनसे भी बुरी। अति सीमांत किसान, बुनकर, रिक्शा-तांगा-हाथ ठेली वाले, मोची, फेरी वाले, फड़-खोमचा लगाने वाले इत्यादि शहरी व ग्रामीण अर्ध-सर्वहारा हैं। 2001 की जनगणना में ये मुल्क की कुल कामगार आबादी में 8.50 करोड़ थे।

हमें इन्हें इनके व्यवसाय के आधार पर विभिन्न मंचों, संगठनों में संगठित करना चाहिये। स्थितियां पैदा होने पर हम इन्हें संघबद्ध भी कर सकते हैं।

हमें इनके सामाजिक अपमान, पुलिस उत्पीड़न, प्रशासनिक उत्पीड़न के साथ-साथ इनकी सेवाओं के बेहतर मूल्य के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। हमें अर्द्ध-सर्वहारा वर्ग की किस्म-किस्म की आर्थिक लड़ाइयों में संघर्ष व नेतृत्व प्रदान करने के साथ इनके बीच क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। हमें इनके बीच यह स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये कि समाजवादी क्रांति ही इन्हें मुक्ति प्रदान कर सकती है।

हमें इनके बीच से भारी पैमाने पर कम्युनिस्ट तैयार करने चाहिये जो इनके क्रांतिकारी मंचों, संगठनों में क्रांतिकारी कोर के रूप में कार्य कर सकें। अर्द्ध-सर्वहारा का ज्यादातर हिस्सा संगठनबद्ध नहीं है। जो मामूली हिस्सा संगठित है भी उसका नेतृत्व बुर्जुआ पार्टियों के छुटभैयों या शासन-प्रशासन की दलाली करने वाले सामाजिक रूप से 'प्रभावशाली' लोगों के हाथों में है। इस बुर्जुआ नेतृत्व को विस्थापित कर इसी वर्ग के भीतर से क्रांतिकारी नेतृत्व विकसित करने का अहम् कार्यभार हमारे समक्ष है। इस वर्ग की बेहद कमजोर राजनीतिक स्थिति के चलते स्थानीय स्तर पर भी इनके श्रम व सेवाओं के दाम तक निर्धारित नहीं हैं। इस वर्ग के भीतर सर्वहारा राजनीति का प्रभाव इनके जुझारू व क्रांतिकारी संगठन बनाने की ओर ले जायेगा।

भारतीय गांवों में 5 करोड़ किसान (2001 की जनगणना के अनुसार) नाम-मात्र के ही किसान हैं। अतः इन्हें देहाती अर्ध-सर्वहारा माना जाना चाहिए। हमारी नीति है कि हम इन्हें देहाती सर्वहारा वर्ग के साथ संगठित करेंगे। इनके बीच भूमि वितरण की मांग एक प्रतिक्रियावादी कदम होगा, अपवाद स्वरूप ऐसा किया जा सकता है।

किसानों के बीच कार्यनीति

भारतीय कृषि के पूंजीवादीकरण ने देहात के वर्गीय समीकरणों को बदल डाला है। 'जमीन जोतने वाले की' नारा आज अप्रासंगिक हो चुका है। कृषि क्षेत्र में शोषण की प्रकृति हर दृष्टिकोण से पूंजीवादी शोषण की ही है। आज भारत की खेती में पैदा होने वाले बेशी मूल्य में भू-लगान का हिस्सा मामूली हो चुका है और जो है भी उसका चरित्र सामंती न होकर मुख्यतः पूंजीवादी है। हां, सामंती अवशेष भारतीय कृषि के मूलाधार व अधिरचना दोनों ही में बचे हुए हैं।

भारतीय पूंजीवाद के विकास की चारित्रिक विशिष्टता रही है कि इसने ग्रामीण इलाके में ध्रुवीकरण तो किया है मगर आबादी के खासे हिस्से को नाममात्र की भूमि से बांधकर रखा हुआ है। विभिन्न रोजगार योजनाओं की वजह से भी गांवों में खासी आबादी छिपी बेरोजगारी के रूप में विद्यमान है। भारत की दो-तिहाई आबादी गावों में रहती जरूर है लेकिन इस ग्रामीण आबादी में से 2/5 आबादी कृषि से बाहर अपनी आजीविका कमाती है। जो आबादी कृषि में लगी हुयी है भी वो प्रथमतः व मूलतः बाजार तंत्र द्वारा शोषित है न कि सांमती उत्पादन प्रणाली द्वारा।

जैसे-जैसे भारतीय कृषि का देशी व विदेशी बाजार से एकीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे किसानों की तबाही-बर्बादी भी बढ़ती जा रही है। आज के कृषि संकट का चरित्र पूंजीवादी है। यह संकट किसानों की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग तरह प्रभावित करता है। जहां पूंजीवादी फार्मर व धनी किसान इससे फायदा उठा रहे हैं, वहीं छोटे व मध्यम किसान तबाही की ओर जा रहे हैं। हमारा कार्यभार बनता है कि हम पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा छोटे-मंझोले किसानों की तबाही-बर्बादी के खिलाफ संघर्ष में उन्हें तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए उनका सहयोग, समर्थन करें।

छोटे किसान भारतीय क्रांति के करीबी भरोसेमंद मित्र हैं। इनके बीच हमारे राजनीतिक प्रचार का मुख्य बिंदु यही है कि समाजवादी समाज में सामूहिकीकरण में ही इनकी मुक्ति है। इस नारे को केन्द्र में रखकर हमें इनको तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए कृषि लागतों को कम करने तथा लाभकारी मूल्य के लिए होने वाले विभिन्न संघर्षों का समर्थन करना चाहिये। सब्सिडी खत्म करने, खाद, बिजली, पानी, बीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ होने वाले किसान संघर्षों में सक्रिय भागीदारी कर तथा समांग मागों की जगह सीमांत, छोटे, मझोले किसानों के फायदे में पक्षपाती व वर्गीकृत (graded) मागें उठाकर हमें उन्हें सर्वहारा विचारधारा के करीब लाने का प्रयास करना चाहिए। सहकारी बैंकों व अन्य ग्रामीण सरकारी संस्थाओं के भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही के खिलाफ किसानों के आक्रोश का हमें यथासंभव इस्तेमाल करते हुए इसे व्यवस्था विरोध की ओर मोड़ना चाहिए।

'विशेष आर्थिक जोन' व अन्य योजनाओं के लिए साम्राज्यवादी व देशी पूंजीपति वर्ग को जमीन मुहैया कराने के लिए बेदखल किए जा रहे किसानों को उचित मुआवजे व पुनर्वास की मांग के लिए संघर्ष में हमें भागीदारी करनी चाहिए।

औद्योगिक, व्यावसायिक, देहाती पूंजीपति की लूट, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कर्जजाल, बाजार तंत्र की लूट व कृषि संकट इत्यादि के खिलाफ किसानों के संघर्षों का समर्थन, सहयोग तथा ऐसे संघर्षों को विकसित करते हुए पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के लिए छोटे किसानों को तैयार करना हमारी नीति है।

भारतीय गांवों के मध्यम किसान सर्वहारा क्रांति के ढुल-मुल मित्र हैं। क्रांति की तैयारियों के दौरान इन्हें तटस्थ करने की नीति अख्तियार करते हुए हमें इनके बीच बाजार तंत्र की लूट व कृषि संकट को केन्द्र में रखकर सर्वहारा राजनीति का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

महिला आंदोलन के बारे में कार्यनीति

महिलाएं न सिर्फ आबादी का आधा हिस्सा हैं बल्कि उन्होंने सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में भी एक हद तक की भागीदारी बना रखी है। भारत के असमान व विकृत पूंजीवादी विकास ने महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दिए हैं। यहां पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया सांमती जड़ता व ठहराव को धीमे-धीमे तोड़कर सम्पन्न हुयी है। यही कारण है कि यहां अधिरचना में मौजूद ढ़ेरों सामंती मूल्य-मान्यताएं महिलाओं की सामाजिक स्थिति को और ज्यादा विषम बना देती हैं।

भारत का पूंजीवादी विकास व साम्राज्यवाद का प्रभाव अपने प्रतिगामी स्वरूप के बावजूद नारी मुक्ति के भौतिक आधार को न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि क्रमशः मजबूत करता चला जा रहा है। यहां पर महिला सर्वहाराओं की ही गिनती करीब 7 करोड़ है। इससे इस बात की ज्यादा सम्भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि नारी मुक्ति संघर्ष सर्वहारा क्रांति के साथ एकाकार हो।

हमारा मानना है कि उद्योग, कृषि एवं सेवा क्षेत्र की महिला सर्वहाराओं को नारी-मुक्ति आंदोलन के केन्द्रक के बतौर संगठित किया जाना चाहिए। कामगार महिलाओं के बीच से ही हमें नारी-मुक्ति आंदोलन की नेता, कार्यकर्ता व जुझारू योद्धा भारी तादाद में मिलेंगी। ऐसा करके ही हम नारी-मुक्ति के प्रश्न को सर्वहारा दृष्टिकोण से हल करने में भी ज्यादा संजीदा हो पाएंगे। कम्युनिस्ट संगठन के भीतर नारी प्रश्न वर्गेत्तर झुकाव न लिए हो और सही सर्वहारा दृष्टिकोण पर केन्द्रित हो, इसके लिए भी महिला कामगारों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती निहायत जरूरी है।

हम नारी मुक्ति आंदोलन को समूचे नारी समुदाय की मुक्ति का आंदोलन मानना मुनासिब नहीं समझते। अपने निजी जीवन में महिला होने के नाते होने वाले कुछ उत्पीड़न की शिकार होने के बावजूद शासक वर्ग की महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगी। हां! व्यक्तिगत तौर पर सर्वहारा वर्ग की विचारधारा को अंगीकार कर चुकी महिलाएं हमें इस वर्ग के बीच से जरूर मिल सकती हैं। सर्वहारा वर्ग की महिलाओं के अलावा अन्य मित्र वर्गों की महिलाएं व घरेलू दासता की बेड़ियों में जकड़ी महिलाएं भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा होंगी।

महिलाओं की मुक्ति नारी-मुक्ति के उद्देश्य को सर्वहारा वर्ग के हितों के साथ एकाकार किए बगैर सम्भव नहीं है। सर्वहारा वर्ग के हित भी इसमें है कि सर्वहारा की संगठित पांतों में सर्वहारा महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों। इसलिए हमें महिला संगठनों के निर्माण को अपनी प्राथमिकताओं में लेना चाहिए। इन महिला जन-संगठनों में हर स्तर पर सर्वहारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि नारी-मुक्ति के कार्यभार को सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण से सम्पन्न किया जा सके।

महिला आबादी के व्यापकतम संस्तरों को अपने प्रभाव में लेने के लिए हमें पार्टी के भीतर विशेष ढ़ांचे खड़े करने चाहिए। जन-संगठनों व पार्टी के स्तर पर यह ध्यान रखा जाय कि कामगार महिलाओं, खास तौर पर सर्वहारा महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए।

हमें पार्टी के भीतर महिलाओं को दीक्षित करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि सदियों का पिछड़ापन उन्हें आगे बढ़ने में किस प्रकार बाधा पहुंचा रहा है। महिला व पुरुष साथियों, खास तौर पर पुरुष साथियों के पुरुष प्रधान मूल्यों के खिलाफ निरंतर संघर्ष चलाना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुरुष वर्चस्ववादी कार्यशैली अपने पांव न पसार रही हो।

महिला संगठनों को सिर्फ महिलाओं के प्रति होने वाले विशिष्ट उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि कामगार महिलाओं के दोहरे शोषण-उत्पीड़न की मुख़ालफत को केन्द्र में रखकर फौरी संघर्ष विकसित करने चाहिये। हमें महिलाओं के बीच प्रचार करते समय इस बात को हमेशा केन्द्र में रखना चाहिए कि औपचारिक तौर पर सतही बराबरी के बरक्स महिलाओं की वास्तविक बराबरी मजदूरों मेहनतकशों के राज्य में ही सम्भव है।

महिला आंदोलन विकसित करते समय सुधारवाद और नारीवाद के खतरे के प्रति निरंतर सजगता बरतनी होगी एवं इसके विरुद्ध संघर्ष करना होगा।

आज कम्युनिस्ट क्रांतिकारी खेमे द्वारा विकसित किए जा रहे नारी-आंदोलन का दायरा बेहद कमजोर है। ऐसे में हमें महिला आंदोलन के विकास के लिए महिला संगठनों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें पितृसत्तात्मक मूल्यों, महिलाओं की गैर बराबरी तथा उनके उत्पीड़न के सभी रूपों के खिलाफ संघर्ष का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। हमें महिलाओं को नागरिक अधिकार दिलवाने के संघर्ष विकसित करने चाहिए। हमें पार्टी के पर्याप्त संसाधनों को इस दिशा में लगाना चाहिए तथा इस प्रवृति का विरोधी होना चाहिए कि महिलाओं के बीच राजनीतिक कार्य सिर्फ महिला साथियों की ही जिम्मेदारी है तथा यह कि महिला साथियों को अन्य मोर्चों पर कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हर मोर्चे पर महिला साथियों के बीच से नेतृत्व विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। महिला साथियों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। महिला जनसंगठनों के निर्माण के लिए एक सुदृढ़ पार्टी कोर का होना भी लाज़मी है।

छात्रों-नौजवानों के बारे में कार्यनीति

भारत में छात्रों, विशेषकर उच्च शिक्षा के स्तर पर का एक बड़ा हिस्सा निम्न बुर्जुआ व सवर्ण परिवेश के नवयुवकों-नवयुवतियों का बनता है। कुछ राज्यों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा सरकारी शिक्षा संस्थानों की मौजूदगी, आरक्षण, फीस-माफी, वजीफा इत्यादि की बदौलत सर्वहारा, उत्पीड़ित जाति, जनजाति पृष्ठभूमि के लोग भी कम तादाद में ही सही, छात्र हैं। शासक वर्गीय परिवेश के स्कूलों-कालेजों को छोड़कर सभी स्कूल-कालेज पार्टी संगठन की कर्मभूमि बनते हैं।

छात्रों के बीच दोहरी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के बाजारीकरण व निजीकरण, उच्च शिक्षा के लगातार महंगा होते चले जाने इत्यादि वजहों से शिक्षा-व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पनपता है। ऐसे विभिन्न मसले भारत में क्रांतिकारी छात्र आंदोलन विकसित करने की संभावना पैदा करते हैं। हमारा काम है कि क्रांतिकारी छात्र संगठनों का निर्माण करके छात्रों के बीच व्यापक पैमाने पर क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार-प्रसार करके व्यवस्था विरोधी आंदोलन खड़ा करें।

छात्र समुदाय के बीच से हमें भारी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रचारक, उद्वेलक और संगठनकर्ता भी मिलते हैं। छात्रों-नौजवानों को भविष्य में विभिन्न मेहनतकशों की पांतों में भी शामिल होना होता है अतः इनके बीच पार्टी संगठन का कार्य वर्गीय-संगठनों के लिए काफी मददगार होता है।

भारत में अच्छी खासी तादाद में खुली व छिपी बेरोजगारी है। छात्रों-नौजवानों के बीच भविष्य के प्रति ढ़ेरों आशंकाएं मौजूद हैं। हमें छात्र-नौजवान संगठनों के अतिरिक्त भी छात्रों-नौजवानों की बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं के लिए संघर्ष के विभिन्न मंचों का निर्माण करना चाहिए। ऐसा करके हम नौजवानों के खासे हिस्से को सर्वहारा राजनीति के साथ खड़ा कर सकते हैं।

छात्रों-नौजवानों के बीच काम करते समय छात्र-संघों, युवक संघों व कला-संस्कृति-खेलकूद के विभिन्न मंचों का रचनात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। इन मंचों के इस्तेमाल व छात्रों-नौजवानों के संगठनों के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि हमारे पास एक कम्युनिस्ट कोर हो जो दृढ़ता व समर्पण के साथ क्रांतिकारी छात्र-नौजवान आंदोलन विकसित करने में सक्षम हो।

'सभी को निःशुल्क वैज्ञानिक शिक्षा तथा पूर्ण गरिमामय रोजगार' छात्रों-नौजवानों के बीच हमारा केन्द्रीय नारा होना चाहिए।

जाति प्रश्न पर

छुआछूत पर आधारित जाति व्यवस्था भारतीय समाज की विशिष्टता है। भारतीय सामंती समाज का ताना-बाना पेशा आधारित जाति व्यवस्था के इर्द-गिर्द बुना हुआ था। सामंती उत्पादन सम्बन्धों की मूलतः समाप्ति तथा पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के भारतीय समाज में जड़ें जमाने के साथ-साथ भारत में जाति-व्यवस्था का आर्थिक आधार क्रमशः समाप्त होता चला गया है। उत्पादन सम्बन्धों में सामंती अवशेष ही बचे रह गये हैं। इसी के अनुरूप उत्पादन सम्बन्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जाति-व्यवस्था का प्रभाव भी कमजोर होता चला गया है।

पूंजीवादी विकास ने एक ओर अछूत जातियों के लिए परम्परागत जाति आधारित पेशे से पिंड छुड़ाकर गांवों से शहरों-कस्बों में पलायन करने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर गांव में भी सामंती भूमि सम्बन्धों को धीरे-धीरे खत्म कर दलितों को उजरती गुलामों में तब्दील किया।

भारत के पूंजीपति वर्ग ने जाति-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए ब्रिटिश सुधारवादी रास्ते का ही अनुसरण किया। इसी कारण जाति व्यवस्था अभी भी सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से समाज में गहरी पैठ बनाए हुए है। जाति व्यवस्था के खात्मे का जनवादी कार्यभार अब सर्वहारा समाजवादी क्रांति अपने उप-उत्पाद के रूप में पूर्ण करेगी। क्रमिक पूंजीवादी विकास द्वारा एक लम्बे समय में जाति व्यवस्था के बेहद कमजोर हो जाने या खत्म हो जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

आज दलित व उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति का सवाल एक नयी जमीन पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। आरक्षण के फार्मूले से पैदा हुआ दलितों का 'नव-सवर्ण' हिस्सा बसपा जैसी पार्टियों द्वारा इस सवाल को अभिव्यक्त कर रहा है। जिन भी हिस्सों में पूंजीवादी विकास तुलनात्मक रूप से ज्यादा है वहां सवर्णों के वर्चस्व को गरीब दलित भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। निचली जातियों का उत्पीड़न मुद्दा बन रहा है और ये जातियां अपने सामाजिक अपमान के विरुद्ध सड़कों पर उतर रही हैं। इस तरह जातिवाद आज अपने सामाजिक-सांस्कृतिक रूप में भी कमजोर होता जा रहा है।

हमें जाति प्रश्न के समाधान को सर्वहारा समाजवादी क्रांति के हिस्से के रूप में ही देखना चाहिए। हम जातिगत आधार पर बनाए जाने वाले किन्हीं भी संगठनों के निर्माण में अपनी किसी भी भूमिका को गलत मानते हैं और उसके विरोधी हैं। सर्वहारा के हितों को केन्द्रित कर हम किन्हीं भी जनसंगठनों की तरह उत्पीड़ित जातियों के संगठनों में भी काम करने की कार्यनीति को अमल में ला सकते हैं।

हम बसपा जैसी दलितों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली पार्टियों को बुर्जुआ पार्टियों से किसी भी रूप में अलग करके नहीं देखते हैं। इस तरह हम उनके साथ किसी भी प्रकार के विशेष सहकार की सम्भावना से इंकार करते हैं। हमारा मानना है कि अम्बेडकरवाद जातिवाद को एक हद तक बनाए रखने और दलितों के विशिष्ट ऊपरी हिस्से को सत्ता में भागीदारी देने के बुर्जुआ नुस्खे के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम अम्बेडकरवाद को बुर्जुआ विचार से अलग करके नहीं देखते। हम अम्बेडकरवाद को भारतीय संदर्भों में मार्क्सवाद का पूरक मानने के किसी भी विचार को गलत मानते हैं। यह न ही किसी भी रूप में वर्ण आधारित जाति सोपानक्रम को देखने का सही नजरिया ही प्रदान करता है।

हम पार्टी या जनसंगठनों में किसी भी प्रकार से सिर्फ जातिगत आधार पर निचली जातियों को वरीयता दिये जाने को भी गलत समझते हैं। हमारा मानना है कि वर्ग को प्राथमिकता में रखते हुए पार्टी व जनसंगठनों के स्तर पर निचली जातियों के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

साम्प्रदायिकता

औपनिवेशिक काल में आस्तित्व में आयी साम्प्रदायिकता की समस्या शोषित वर्गों को बांटकर अपनी शासन व्यवस्था को चलाने की ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की नीति की पैदाइश थी। आजादी के बाद भारतीय शासक वर्ग भी अंग्रेज शासकों के दिखाए रास्ते पर चलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिकता का बखूबी इस्तेमाल करता रहा है। भारतीय चुनावी राजनीति में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए साम्प्रदायिकता का इस्तेमाल होता रहा है।

भारत के पूंजीवादी विकास ने समाज में सामंती मूल्य-मान्यताओं व संस्कारों के प्रभाव को कमजोर किया है और परम्परागत धर्म के सामाजिक प्रभाव को भी खोखला किया है। पारम्परिक धार्मिक विवाद और झगड़े भारतीय समाज में अब भी हैं मगर ह्रासमान प्रवृति के रूप में। दूसरी ओर पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा का साम्प्रदायिकता के साथ सीधा सम्बन्ध बना है। इसीलिए अब मुल्क में होने वाले ज्यादातर दंगा-फसाद सीधे-सीधे चुनावी राजनीति द्वारा प्रायोजित व पोषित हैं। आज साम्प्रदायिकता की समस्या का चरित्र मूलतः पूंजीवादी है।

चुनावी राजनीति में साम्प्रदायिकता का यह इस्तेमाल भारतीय पूंजीवाद के चरित्र में आ रहे बदलाव और इसके गहराते संकट व विकल्पहीनता की ही अभिव्यक्ति हैं। मेहनतकश जनता की चेतना को कुंद कर उसे आपस में बांटने की शासक वर्गीय मुहिम के खिलाफ संघर्ष हमारा महत्वपूर्ण कार्यभार बनता है।

हमें धार्मिक कूपमंडूकता, धार्मिक फासीवाद व हिंदू राष्ट्रवाद की सभी प्रवृतियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष विकसित करना चाहिए। हमें धर्म की राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से पूर्ण बेदखली के लिए संघर्ष करना होगा। 'धर्म व्यक्ति का निजी मामला है' को केन्द्र में रखकर हमें पूर्ण धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

हमें मेहनतकश जनसमुदाय के बीच स्पष्टता के साथ यह बात रखनी होगी कि वर्तमान साम्प्रदायिकता एक पूंजीवादी परिघटना है और इस व्यवस्था का खात्मा ही इस समस्या से पूर्ण निजात दिला सकता है। हमें आक्रामक व वर्चस्वकारी हिंदू साम्प्रदायिकता के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों की साम्प्रदायिकता का भी विरोधी होना चाहिए। हमें अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता को रियायत नहीं देनी चाहिए और न ही उसे नजरअंदाज करना चाहिए। आक्रामक हिंदू साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करते समय अल्पसंख्यकों के साम्प्रदायिक संगठनों के साथ फौरी या दूरगामी तौर पर मोर्चा कायम करना भी गलत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम साम्प्रदायिकता को चुनौती देते समय खुद भी एक प्रतिक्रियावादी जमीन पर ही खड़े होंगे। सही सर्वहारा कार्यनीति यही है कि दोनों ही तरह की साम्प्रदायिकता की मुखालफत कर सर्वहारा वर्ग की वर्गीय एकता व साम्प्रदायिकता को पालने-पोषने वाली व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुटता का आह्वान किया जाये। सर्वहारा वर्गीय राजनीति के अलावा किसी भी अन्य तरीके से साम्प्रदायिकता का विरोध हमें जाने-अनजाने प्रतिक्रियावाद की गोद में धकेल देता है।

साम्प्रदायिकता का विरोध करते समय हमें इस बात को खासतौर पर ध्यान में रखना चाहिए कि बहुसंख्यक हिंदू साम्प्रदायिकता आक्रामक स्थिति में है और इसे राज्य का भी मुखर व मौन समर्थन प्राप्त है। गुजरात दंगे इसका प्रतिनिधिक उदाहरण है। साम्प्रदायिक संगठनों के दमन में भी राजसत्ता दोहरे मानदण्ड अपनाती है। 'सिमी' जैसे खुले इस्लामिक संगठनों का बर्बरता की हद तक दमन किया जाता है और हिंदू साम्प्रदायिक संगठन गुजरात जैसे 'प्रयोगों' में लगातार लिप्त रहते हैं।

हमें साम्प्रदायिकता के बरक्स बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यकों की वर्गीय एकता व लामबन्दी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

राष्ट्रीयता का सवाल

भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है। आजादी के बाद भारतीय बुर्जुआ वर्ग ने अपनी गृहमंडी के विस्तार के लिए 570 राजे-रजवाड़ों को समाप्त किया। कई राष्ट्रीयताओं को समेटकर इसने अपनी केन्द्रीय सत्ता का निर्माण किया। भारतीय बुर्जुआ ने विभिन्न राष्ट्रीयताओं की आम जनता की इच्छा, आकांक्षा के खिलाफ जाकर जोर-जबरदस्ती व कब्जा करने की नीति अख्तियार की। कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड तथा सिक्किम बुर्जुआ वर्ग की आक्रामक नीति के प्रतिनिधिक उदाहरण हैं। भारतीय राजसत्ता ने कई राष्ट्रीयताओं को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जबरन कब्जा करने की नीति पर तो अमल किया ही इन्हें अपने राष्ट्र की सीमाओं में बनाए रखने के लिए भी निरंतर दमन व आत्मसातीकरण का सहारा लिया।

भारतीय राष्ट्र की सीमा में शामिल विभिन्न राष्ट्रीयताएं विकास के विभिन्न स्तरों पर खड़ी हैं। इन राष्ट्रीयताओं में से कई की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। भारत में मौजूद राष्ट्रीयताओं में से कुछ विकसित व सुगठित हैं। कुछ विकसित तथा कुछ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रीयताएं ऐसी हैं जिनका भारतीय राज्य उत्पीड़न करता है।

उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का भारतीय राजसत्ता के साथ अन्तर्विरोध भारतीय समाज के प्रमुख अंतर्विरोधों में एक है। राष्ट्रीयता की इस समस्या का विशिष्ट गुण यह है कि यहां कोई एक राष्ट्रीयता अन्य राष्ट्रीयताओं का दमन-उत्पीड़न नहीं करती बल्कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के पूंजीपति वर्ग के सम्मिलन से निर्मित अखिल भारतीय चरित्र वाला पूंजीपति वर्ग अपनी केन्द्रीकृत सत्ता के मार्फत इनका उत्पीड़न करता है। भारतीय पूंजीपति वर्ग ने उत्पीड़त राष्ट्रीयताओं के बीच से पैदा पूंजीपति वर्ग को भी आत्मसात किया है।

भारतीय राजसत्ता और राष्ट्रीयताओं के अन्तर्विरोध विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। 'भारतीय संघ' के निर्माण के समय से ही केंद्र-प्रांत के सम्बन्धों में विवाद दिखायी देते हैं। इन विवादों की प्रकृति अपने सार में शासक वर्गों के आपसी अंतर्विरोधों की ही है। इस विवाद के मूल में केन्द्र द्वारा प्रान्तों को दिए गए सीमित अधिकार व सीमित स्वायत्तता है। केन्द्र-प्रांत के सम्बन्धों में मूल विषय व अधिकारों पर केन्द्र का इजारा है। भारतीय संघ नाम-मात्र का संघ है, जिसमें एक वर्चस्व वाले केन्द्रीय ढ़ांचे के भीतर प्रांतों को नाम-मात्र की ही स्वायत्तता हासिल है।

भारतीय राजसत्ता और राष्ट्रीयताओं के अंतर्विरोधों की मुखर व घनीभूत अभिव्यक्ति उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के आंदोलन हैं। इन आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः निम्न बुर्जुआ तत्वों के हाथों में है। पूंजीवादी विकास के फलस्वरूप पैदा हुए अंतर्विरोधों ने राष्ट्रीयता की समस्या को पैदा किया है। केन्द्र द्वारा इन राष्ट्रीयताओं के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। इन राष्ट्रीयताओं में से कुछ सीमित तथा कुछ पूर्ण स्वायत्तता के लिए संघर्षरत हैं।

इन राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों का नेतृत्व निम्न पूंजीपति वर्ग के हाथों में है। केन्द्र द्वारा प्रांतों के प्राकृतिक संसाधनों व सस्ते श्रम के दोहन के खिलाफ इस वर्ग का स्वाभाविक आक्रोश पैदा होता है। निम्न बुर्जुआ नेतृत्व के चलते इन आंदोलनों में धर्म, जनजातीय इत्यादि का भाव भी पैदा होता रहता है। इन्हीं संकीर्ण आधारों पर मेहनतकश समुदाय की हत्याएं भी इन आंदोलनों में होती रहती हैं। ये प्रवृत्तियां निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की एकता को कमजोर करती हैं। राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के आंदोलनों में इस तरह की प्रवृत्तियों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय शासक वर्ग इन प्रवृत्तियों को लगातार हवा देने का काम करता है।

हम सीमित स्वायत्ता या पूर्ण विच्छेद की मांग को लेकर चल रहे उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णयों के आंदोलनों का सशर्त समर्थन करते हैं। क्योंकि इससे एक ओर जनवाद का विस्तार होता है तथा दूसरी ओर स्वैच्छिक, एकताबद्ध, विशाल केन्द्रीकृत समाजवादी राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है।

हम आत्मनिर्णय के अधिकार को तभी समर्थन देते हैं जब इसके लिए व्यापक जन अपनी आकांक्षा व्यक्त कर रहा हो। हम जनता के इस संघर्ष में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर इस बात को उनके बीच स्थापित करने का काम करते हैं कि पूंजीवादी जनवादी स्वायत्तता, स्वतंत्रता उनकी समस्याओं का हल नहीं है; कि उनकी समस्याओं का समाधान समाजवादी राज्य में ही सम्भव है। हम जनता के बीच आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले समाजवादी संघ के गठन का प्रस्ताव रखते हैं।

हम धर्म, जाति, नस्ल इत्यादि प्रतिक्रियावादी मांगों के आधार पर की जाने वाली आत्मनिर्णय की मांग का विरोध करते हैं। ऐसी कोई भी मांग सर्वहारा वर्ग को आपस में बांटने वाले प्रतिक्रियावादी विचार का प्रतिनिधित्व करती है।

जनजातीय समस्या

भारत में आठ करोड़ जनजातीय आबादी है। कुछ जनजातियों मसलन मीजों, नागा, इत्यादि का विकास राष्ट्रीयता के स्तर तक हो चुका है। अन्य जनजातियां विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। पूंजीवादी विकास ने इनकी परम्परागत जीवन शैली व परिवेश को नष्ट कर इन्हें वर्गीय संरचना में ठेलना जारी रखा हुआ है। ऐसा पूंजीवादी समाज की सामान्य गति है।

हम पूंजीवाद द्वारा इन जनजातियों को इनके परिवेश से उजाड़े जाने की क्रूरता व अमानवीयता के विरोधी हैं। हम पूंजीवाद की मौजूदगी में इनके परिवेश, प्राकृतिक उत्पादों पर इनके अधिकार व इनके अन्य परम्परागत अधिकारों के हिमायती हैं। हम इनके इन अधिकारों को बचाने के संघर्ष का समर्थन करते हैं। हम पूंजीवादी निजाम द्वारा इनके विस्थापन की क्रूरता व अमानवीयता की मुखालफत करते हुए इन्हें बताते हैं कि पूंजीवादी में यह स्वाभाविक है। समाजवाद ही इन्हें बेहतर व सम्मानजनक जीवन दे सकता है।

हम राष्ट्रीयताओं के स्तर तक विकसित हो चुकी जनजातियों के आत्मनियर्णय के अधिकार के लिए किए जाने वाले संघर्षों का सशर्त समर्थन करते हैं।

नए सामाजिक आंदोलन व गैर सरकारी संगठनों संबंधी नीति

समाजवाद की पराजय और पूर्वी यूरोप की छद्म समाजवादी राजकीय इजारेदार पूंजीवादी सत्ताओं के ढ़हने के साथ ही पूंजीपति वर्ग के ज़रख़रीद बुद्धिजीवियों ने कम्युनिज्म के खिलाफ अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया। इसी के साथ मार्क्सवादी विचारधारा व समाजवाद के खात्मे के नारे के साथ समाज की मुक्ति 'नए सामाजिक आंदोलनों' में निहित होने का विचार पुष्पित पल्लवित हुआ। इस वर्गेत्तर सोच ने वर्गीय संरचना के पृष्ठभूमि में चले जाने व विभिन्न सामाजिक पहचानों के उसका स्थान ग्रहण कर लेने की घोषणा की।

इन नए सामाजिक आंदोलनों का आधार समाजवाद की फिलहाल पराजय से मायूस निम्न बुर्जुआ व बुर्जुआ बुद्धिजीवी हैं। ये आंदोलन साम्राज्यवाद तथा पूंजीपति वर्ग और पतित मार्क्सवादियों द्वारा पालित-पोषित हैं। इनका भण्डाफोड़ करना तथा कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में इन विचारों की घुसपैठ के खिलाफ संघर्ष करना आज हमारा कार्यभार बनता है।

गैर सरकारी संगठन परिघटना भी इसी के समानांतर पूंजीपति वर्ग के सुधारवादी चेहरे को सामने लाती है। ये संगठन मेहनतकश जनता को क्रांति से विरत कर उन्हें सुधारवाद व आत्मोत्थान का पाठ पढ़ाते हैं। ये संगठन पूंजीवाद-साम्राज्यवाद की खैरात पाकर सर्वहारा वर्ग के बीच व्यवस्था को स्थापित करने का माध्यम बने हैं। इन संगठनों के असली चेहरे को हमें हमेशा बेनकाब करना होगा। हमें जनता के बीच इनके स्रोत-संसाधनों का खुलासा करके इनकी असलियत को उजागर करते रहना चाहिए।

हमें आंदोलन में इनके वैचारिक प्रभाव की सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों की भी पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के साथ फौरी मुद्दों पर मोर्चा कायम करते समय भी इनके वैचारिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए।

चुनाव में भागीदारी सम्बन्धी नीति

भारत में पूंजीवादी जनतंत्र है। यह सभी नागरिकों को औपचारिक जनवाद देता है। हमारा मानना है कि सभी बुर्जुआ जनवादी संस्थाओं में कम्युनिस्टों को अपनी भागीदारी करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लेनिन की शिक्षा 'जहां कहीं भी आम जनता है वहां कम्युनिस्टों को जाना चाहिए तथा वहां जनता को सम्बोधित कर वर्तमान व्यवस्था के प्रति उसका मोहभंग करना चाहिये और उसे क्रांति की ओर मोड़ना चाहिए। जिस भी मंच से सम्भव हो उसका इस्तेमाल कर जनता में अपनी बात पहुंचानी चाहिए।' ही हमारी मार्गदर्शक है।

इस सम्बन्ध में संसदवाद तथा वामपंथी कम्युनिज्म दोनों के ही खतरे से बचते हुए हमें सही मार्क्सवाद नीति अमल में लानी चाहिये। भारत में एक संसदीय व्यवस्था है। चुनावों में भागीदारी का सवाल एक रणनीतिक सवाल नहीं बल्कि रणकौशल का सवाल है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में न सिर्फ जनता का भरोसा है बल्कि यह लगातार बना हुआ है। हाल-फिलहाल भारतीय जनता व्यवस्था के प्रति अपना असंतोष सत्तारूढ़ दल को सत्ताच्युत कर कमान विपक्षी दल के हाथों में सौंपकर अभिव्यक्त करती रही है। जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सब के बावजूद जनता का संसदीय जनतंत्र में विश्वास लगातार बना हुआ है। क्षेत्रीय पार्टियों के अभ्युदय व उत्थान तथा खण्डित जनादेश के अनुरूप भारतीय पूंजीपति वर्ग भी सरकार चलाने के नुस्खे ईजाद कर रहा है।

सपा-बसपा जैसे दलों का बढ़ता वोट प्रतिशत यह भी दिखाता है कि पिछले सालों संसदीय व्यवस्था ने अपना आधार गरीब-मेहनतकश समुदाय के बीच बढ़ाया भी है। ऐसे में चुनाव बहिष्कार का नारा अति वामपंथी कदम है और जनता को बुर्जुआ पार्टियों की गोद में धकेल देता है। हमें चुनाव के मंच का इस्तेमाल कर जनता के बीच बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था का भंडाफोड़ करना चाहिए।

संसदीय चुनावों में हिस्सेदारी करने से पहले इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि संसदवादी भटकाव से बचने में पार्टी सक्षम है या नहीं? पार्टी संगठन के कमजोर होने की स्थिति में पार्टी संसदीय गुट को नियंत्रित करने में मुश्किलों का सामना कर सकती है। पार्टी के कमजोर होने की स्थिति में व्यापक जनाधार के अभाव व सर्वहारा वर्ग के बीच आधार कमजोर होने से किसी भी तरह भ्रष्ट न हो सकने वाले उम्मीदवार की परख भी मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में संसदीय गुट को पार्टी अनुशासन में रखना तो मुश्किल होगा ही उनके भ्रष्ट हो जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर भी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पार्टी संगठन के कमजोर होने की स्थिति में हमें चुनाव के मौकों पर अपनी क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करना चाहिए। ऐसे में हमें न तो चुनाव में हिस्सेदारी करनी चाहिए और न ही बहिष्कार का नारा देना चाहिए। हमें जनता की इस मौके पर बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता का लाभ उठाकर उसे विभिन्न तौर-तरीकों से राजनीति देते हुए संसदीय व्यवस्था का भण्डाफोड़ करना चाहिए। ऐसा करके हम जनता को व्यवस्था से मोहभंग की दिशा में ले जा सकते हैं।

चुनावों के समय हमें प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी भी बुर्जुआ पार्टी को स्थापित करने का काम नहीं करना चाहिए। किसी भी बुर्जुआ पार्टी को किसी विशिष्ट नीति के मामले में अलग बताकर उसके प्रति नरमी या कठोरता बरतने का रुख जनता के बीच एक के मुकाबले दूसरी को स्थापित करने का काम करता है।

भारत में किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के बीच सत्ता-संचालन को लेकर कोई भी मूलभूत नीतिगत मतभेद नहीं हैं। इन पार्टियों के वोट बैंक अलग-अलग हैं इसलिए ये प्रचार के अलग-अलग हथकंडे अख्तियार करती हैं। मूल नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर इनके बीच छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।

संयुक्त मोर्चा

भारत में औद्योगिक सर्वहारा के नेतृत्व में समस्त सर्वहारा वर्ग व अर्ध सर्वहारा की संगठित लड़ाकू शक्ति से आम बगावत द्वारा समाजवादी क्रांति सम्पन्न होगी। छोटे किसान इस क्रांति के भरोसेमंद मित्र हैं। मध्यम किसानों समेत अन्य शहरी व देहाती निम्नपूंजीपति वर्ग क्रांति के ढुलमुल सहयोगी होंगे।

समस्त पूंजीपति वर्ग (फार्मर व धनी किसान समेत) तथा साम्राज्यवाद क्रांति के प्रहार का लक्ष्य होंगे।

सर्वहारा वर्ग की पार्टी सभी मित्र वर्गों, तबकों व जनजातियों के फौरी संघर्षों का समर्थन व सहयोग करेगी। शोषित-उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के फौरी आर्थिक व राजनीतिक संघर्षों को समर्थन व नेतृत्व देते हुए सर्वहारा पार्टी इन वर्गों-तबकों का आपसी सहकार कायम करने का यथासंभव प्रयास करेगी। ऐसा करते समय सर्वहारा वर्ग समेत सभी मित्र वर्गों के बीच सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना उसे स्थापित करना और समाजवादी क्रांति की दिशा में बढ़ना हमारा लक्ष्य होगा।

हम विभिन्न मुद्दों पर अंतर्वर्गीय, अंतर्तबकायी जनसंगठनों का निर्माण भी करेंगे; जैसे- सांस्कृतिक, साहित्यिक मोर्चा इत्यादि। हम सभी मेहनतकश वर्ग व तबकों के साझा मुद्दों के लिए बने हुए या बननेवाले मंचों पर संघर्षों में भागीदारी करेंगे। ये जनसंगठन सर्वहारा वर्ग के लिए संयुक्त मोर्चा संचालित करने की पाठशाला का काम करेंगे।

सर्वहारा वर्ग की पार्टी भारत की समाजवादी क्रांति के सभी मित्र वर्गों व तबकों के रणनीतिक संयुक्त मोर्चे को कायम करने के साथ-साथ देश-काल एवं वर्ग संघर्ष की विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर रणकौशलात्मक निर्णयों के तहत इसी संयुक्त मोर्चे के संघटन में फेर-बदल कर सकती है या फिर बिल्कुल ही नये संयुक्त मोर्चे गठित कर सकती है। किसी भी स्थिति में वह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त मोर्चे के संघटक होने के नाते अपने वर्ग सर्वहारा वर्ग की स्वतंत्र पहलकदमी बाधित न हो। इसके साथ-साथ वो संयुक्त मोर्चे को नेतृत्व प्रदान करने की भी कोशिश करेगी।

सर्वहारा वर्ग की पार्टी व्यापक मजदूरों को क्रांति के लिए संगठित करेगी। अन्य मित्र वर्गों-तबकों के संघर्षों में न सिर्फ सर्वहारा वर्ग की पार्टी सहयोग, समर्थन व नेतृत्व प्रदान करने का काम करेगी बल्कि मजदूरों को इन संघर्षों के सबसे विश्वसनीय, जुझारू, भरोसेमंद लड़ाकों के रूप में प्रशिक्षित व स्थापित करेगी।

सर्वहारा वर्ग अपनी पार्टी की मार्फत मित्र वर्गों-तबकों को आंदोलनों की धाराओं को एक दिशा में केन्द्रित कर नेतृत्व प्रदान करते हुए पूंजीवादी राजसत्ता को ध्वस्त कर सर्वहारा की तानाशाही कायम करने की दिशा में ले जायेगा।

■■■